<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

प्रार्थी **सर्वश्री राजेश सक्सेना, पुत्र स्व0 श्री सी0 एल0 सक्सेना, तारीन बहादुर गंज, शाहजहाँपुर ।**

प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक **026 / 11, 11.04.2011**

प्रार्थी की ओर से **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री राजेश सक्सेना, पुत्र स्व0 श्री सी0 एल0 सक्सेना, तारीन बहादुर गंज, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 11.04.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Processed Preserved Food '' पर करदेयता जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 26.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली पत्रवाहक की रिपोर्ट के अनुसार पता अधूरा होने के कारण एवं प्रार्थी के नाम से किसी के न पाये जाने के कारण नहीं हो पायी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि इनके द्वारा सब्जियों एवं दालों को प्रोसेसिंग के पश्चात BOPP Film के पाउच में पैक करके बिक्री किया जायेगा। उनके द्वारा राजमा, अरहर दाल एवं छोले आदि दालों को हाफ ब्वायल करने के पश्चात सुखा कर एवं उसमें मसाले, सूखा टमाटर, प्याज एवं लहसुन मिक्स करके पाउच में पैक किया जायेगा । इसी प्रकार पालक आदि सब्जियों को महीन काट कर हाफ ब्वायल किया जायेगा एवं सुखाने के पश्चात मसालों का मिश्रित पाउडर मिला कर पाउच में पैक कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा Processed Preserved सब्जी एवं दालों को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-103 में अंकित प्रविष्टि से आच्छादित मानकर 4% कर देय घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, बरेली सम्भाग-बी, बरेली द्वारा पत्र संख्या-838, दिनांक 02.07.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि Processed Preserved Food (Instant Food Mixes) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में किसी भी इन्ट्री के अन्तर्गत नहीं आता है अत: यह वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के आती है क्योंकि यह खाद्य पदार्थ एवं उत्पादों सहित संरक्षित खाद्य श्रेणी की वस्तु में आता है जिस पर कर की दर 12.5% है अत: Processed Preserved Food पर कर की दर 12.5% होना चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-103 निम्न प्रकार है :-

Processed or preserved vegetable & fruits including fruit jams, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drink & fruit juice (whether in sealed containers or otherwise)

प्रार्थी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में Processed Preserved पालक एवं अन्य सब्जियों तथा

....2

<u>सर्वश्री राजेश सक्सेना, पुत्र स्व0 श्री सी0 एल0 सक्सेना / प्रा0 पत्र सं0-026 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

Processed Preserved राजमा, अरहर दाल एवं छोले इत्यादि के सम्बन्ध में जो कि Multilayer BOPP Film के पाउच में पैक करके बिक्री किया जायेगा पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। Processed Preserved सब्जियाँ उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की उक्त प्रविष्टि संख्या-103 से आच्छादित मानी जा सकती हैं जबकि Processed Preserved दालों को उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं माना जायेगा। वस्तुत: इस प्रकार की कोई प्रविष्टि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में नहीं है। इस प्रकार Processed Preserved सब्जियों पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-103 से आच्छादित होने के कारण 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए तथा Processed Preserved दालों अनाज आदि की प्रविष्टि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, बरेली सम्भाग-बी, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Processed Preserved सब्जियाँ उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-103 से आच्छादित हैं अत: इन पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी तथा Processed Preserved दाल, राजमा, छोले आदि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेय होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।